(वाद सं0– 4792/4/27/2022)

03.08.2023

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, पुष्पलता झा, के 16 वर्षीय किशोर पुत्र, अंकित कुमार, को पुलिस द्वारा जान–बुझकर कारा में संसीमित किये जाने से सम्बन्धित है।

प्रसंगाधीन मामले में एक किशोर को कारा में संसीमित किये जाने पर **निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से प्रसंगाधीन मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।**

निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का जाँच प्रतिवेदन संचिका के 19–17/प0 पर रक्षित है। अपने जाँच प्रतिवेदन में निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि ''अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी, पुष्पलता झा, द्वारा पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर लगाये गये आरोप विद्वेषपूर्ण एवं मनगढ़ंत है, क्योंकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् उम्र का निर्धारण स्वयं न्यायालय करती है, जो न्यायालय प्रक्रिया का एक भाग होता है। इसमें पुलिस पदाधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी स्थिति में परिवादी का यह आरोप की पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा दुर्भावनापूर्ण ढंग से कार्य किया गया है, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है।''

निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के जाँच प्रतिवेदन (पृष्ठ 19–17/प0) की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ परिवादी को उपलब्ध करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक